श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2015 को आयोजित राजस्व एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **भू–लगान :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान की वसुली जलालपुर, परसा एवं दरियापुर को छोड़कर किसी भी अंचल का 20% तक वसुली नहीं किया गया हैं। अंचल सोनपुर द्वारा सबसे कम 6.09 प्रतिशत कि वसूली हुई है जिस पर पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, सोनपुर द्वारा बताया गया की 16 मौजा की भूमि असर्वेक्षित होने के कारण दाखिल खारिज नहीं को रहा हैं और न ही रसीद काटा जा रहा हैं, जिसके कारण वसूली पर प्रतिकुल असर पड़ा हैं।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को कम से कम 25 प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया, साथ ही 25 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले संबंधित पदाधिकारी पर कार्य में रूचि नहीं लेने के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सबसे अधिक राजस्व वसूली करने वाले अंचल पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा। बैठक में सभी अंचल अधिकारी को अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी को कर्मचारी/सरकारी भवन में बैठने का निदेश दिया गया तथा वैसे सभी राजस्व कर्मचारी जो एक एवं दो हल्का के प्रभार में है, उनकों अपने मुख्यालय में रहने से संबंधित तिथिवार मो0न0 सहित विवरणी जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

2. **सैरात :–** समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में बंदोबस्त होने वाले सैरात, जो अभी तक निर्धारित तिथि को बंदोबस्त नहीं हो सका हैं, उक्त सभी अबंदोबस्त सैरातों को अगली तिथि 16.03.15 को होने वाली डाक में अपने स्तर से पूर्ण प्रयास से बंदोबस्त कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में अबंदोबस्त सैरातों का विभागीय वसूली शतप्रतिशत कारने का निदेश दिया गया।।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **अतिक्रमण :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 34 वाद लम्बित है, जिसमें सबसे अधिक सदर में– 9, अमनौर– 5, मांझी, बनियापुर, मशरक, सोनपुर में 3-3 दिघवारा में 4, एकमा, नगरा, परसा एवं इसुआपुर में 1-1 वाद लंबित पाये गये हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी सदर छपरा, अमनौर एवं दिघवारा से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि लंबित सभी वादों में नोटिस दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा इस माह के अंत तक सभी लंबित वादों में सन्निहित लो भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **लैण्ड बैंक :–** समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला से भेजे गये सभी प्रस्ताव को विभाग द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया हैं, जिसे सभी संबंधित अंचल को भेज दिया गया हैं, जो अभी तक अप्राप्त हैं।

समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक का प्रस्ताव किसी भी अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब प्रस्ताव/अधियाचना नई भू–अर्जन नीति 2013 के अनुसार अधियाचना

देने हेतु सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया। इसपर अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नई भू–अर्जन नीति के तहत प्राप्त प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार करने में कठिनाई हो रही है। समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 14.03.15 को अपराहन 04:00 बजे तिथि निर्धारित करते हुए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को नई भू–अर्जन नीति के तहत समुचित जानकारी एवं विहित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार करने से संबंधित जानकारी सभी अंचल अधिकारी को देने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला।

5. **चालू खतियान :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1805 मौजा में मात्र 770 ग्रमों का कार्य पूर्ण हुआ और 206 ग्रामों में कार्य चल रहा हैं। इस प्रकार कुल 976 ग्रामों का ही चालू खतियान का कार्य हुआ है। इस कार्यो की प्रगति पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी से कार्य पूर्ण होने की समय–सीमा पर पृच्छा की गयी, जिसपर सभी अंचल अधिकारी द्वारा माह मार्च 15 तक कार्य पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा 31 मार्च 2015 तक हर हाल में पूर्ण करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सारण जिला।

6. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में कुल 544 दायर वाद के विरूद्ध 467 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 85.85 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर द्वारा 06 लंबित मामले एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा द्वारा 1 मामले निर्धारित अवधि के उपरांत लंबित के संबंध में पृच्छा की गई, पृच्छा के क्रम में उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर एवं सदर छपरा द्वारा बताया गया कि संबंधित वाद को शीघ्र समाप्त कर दी जायेगी, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा ससमय निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

7. **R.T.P.S (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार) –** समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारी को R.T.P.S काउन्टर को सही ढंग से करने के साथ ही नियमित निरीक्षण करते रहने का निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया। सभी प्रकार के मामले को पारदर्शिता बरतने एवं लंबित मामले को 31 मार्च तक निष्पादन करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला/ स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण।

8. **दाखिल खारिज :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 35476 प्राप्त वाद के विरूद्ध मात्र 34336 वादो का निष्पादन हो चुंका है। लंबित मामले 1140 है, जिसमें सबसे अधिक 218 मामले सोनपुर 132 दरियापुर एवं 100 जलालपुर अंचल में पाया गया, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अधिक लंबित रहने के कारण पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित मामले को ससमय निष्पादन करने हेतु सभी अंचल को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

9. **जनशिकायत** :— समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया की प्राथमिकता के आधार पर जनता दरबार के सभी प्रकार के मामले को शीघ्र निष्पादन किया जाय।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

10. **भू–हस्तांतरण** :— समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि भूमि को चिन्हित कर के रखा जाय ताकि विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यस्तरीय संबंधित विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई किया जा सकें।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।
जिला राजस्व शाखा, छपरा।

11. **महादलित** :— समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीन महादलित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराई गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

12. **अभियान बसेरा** :— समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वासहिन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं।

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि का श्रोत				अभि0
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारों की सं0	गै0 म0	गै0 आम	BPPHT	क्रय	
1	2	5	6	7	8	9	10	19	20	21	22	23
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0	
2	रिविलगंज	19			7		26	0	0	26	0	
3	मॉझी	16					16	0	0	0	0	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	
5	जलालपुर	55					55	0	0	0	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0	
7	बनियापुर	2	6		7	4	19	13	0	6	0	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	9	3	0	0	
9	गड़खा		11			7	18	15	3	0	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	
11	मकेर	8	1		1	1	11	3	0	8	0	
12	मढ़ौरा	65					65	65	0	0	0	
13	अमनौर	13	2	0	4		19	19	0	0	0	
14	तरैया	30			1		31	31	0	0	0	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	
16	मशरक	40					40	7	0	33	0	
17	पानापुर	6	3	0	1		10	0	0	10	0	
18	दिघवारा	0			11	4	15	0	2	13	0	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0	
20	सोनपुर		1			9	10	0	0	10	0	
योग –		413	30	6	49	25	523	228	24	196	0	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन – सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

13. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14453 के विरूद्ध मात्र 11301 परिवारों से संबंधित प्रपत्र–I में अपलोड किया गया है, शेष लंबित 3152 परिवारों को अविलम्ब प्रपत्र–I में अपलोड कराने हेतु अंचल अधिकारी, मांझी, जलालपुर, बनियापुर, गड़खा, अमनौर, तरैया, इसुआपुर, मशरक, दरियापुर एवं सोनपुर को निदेश दिया गया तथा प्रपत्र–I के अनुरूप प्रपत्र–II में अपलोड कराने हेतु अंचल अधिकारी, अमनौर, मढ़ौरा एवं मशरक को निदेश दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दहानी के तहत पाये गये बेदखल परिवारों को 31 मार्च तक दखल दिलाने एवं राजस्व शिविर को नियमित करते रहने हेतु सभी अंचल को निदेश दिया गया। साथ ही उक्त शिविर को नियमित जांच करने हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

14. **शहरी लोक भूमि अतिक्रमण :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 86 मौजा में से मात्र 18 का ही सर्वेक्षण हो पाया हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 31 मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढौरा, सोनपुर एवं दिघवारा।

15. **भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एल0पी0सी0 निर्गत करने हेतु कुल 11295 आवेदन के विरूद्ध मात्र 11114 मामले को निष्पादित किया गया है। शेष अभी भी 181 मामले लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक अमनौर एवं दरियापुर में 35–35 मामले लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा करने के उपरांत संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा सभी लंबित मामले को 31 मार्च तक निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठान/कार्यालय वगैरह में लगे होल्डिंग पोस्टर एवं पंपलेट को हटवाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया की हटाने के उपरांत कोई संस्था वगैरह द्वारा पुनः पोस्टर/पंपलेट लगाया जाय तो उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 396/ दिनांक 19/3/15

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/3/15
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।